बर व त हकाम म की तारीख में जारी कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक ... रखा / P.O. ... मीटिंग / ... / अवकाश में। पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक 6/1/26 को पेश हो।	
6/1/26	वास्ते जिरह 30/1/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	30/1/26
30/1/26	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान जिरह नहीं करना चाहते अतः बन्द की जाती है। प्रति.1 का इकबालिया जवाब है। साक्ष्य लेखनी की आवश्यकता नहीं है सीधे बहस अंतिम वकील की सुनी गयी वास्ते आदेश 10/2/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	बहस सुनी गई। 10/2/26
10/2/26	वास्ते आदेश 27/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
27/3/26	पत्रा. पेश। वादी रेशमा बी द्वारा धारा 88, 89 एवं 136 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभिलेखो का अवलोकन एवं पक्षकारो की दलीलो पर विचार किया गया। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म ... में ...
	प्रकरण के अनुसार वादी एवं अन्य पक्षकारों ने मालिक खसरा नं 442/172 रकबा 0.3784 हेक्टेयर से क्रय कर वर्तमान खसरा नं. 532/530, 533/530 एवं 531/442 में अपना अपना भाग दर्ज कराया है। प्रार्थी का कथन है कि क्रय भूमि सड़क के पास मध्य की भूमि पर कब्ज़ा प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रति 1 ने क्रय कर कब्ज़ा पश्चिम की तरफ प्राप्त किया व सलमा बी ने पूर्व की तरफ कब्ज़ा लिया। परन्तु राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण रेखा खींचने के बजाय पूर्व से पश्चिम रेखा खींच दी है। अत: इनका निवेदन है की नक्शा के सुधार किया जाए। अन्य पक्षकारों ने भी सहमति व्यक्त की है। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र में केवल "सड़क के निकट / आबादी क्षेत्र से दूर" का सामान्य उल्लेख है किन्तु भूमि की सटीक दिशा / सीमाओं	

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है। साथ ही साबिक खसरा 452/172 का मूल नक्शा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में वर्तमान नक्शे में अंकित स्थिति को त्रुटिपूर्ण सिद्ध करना संभव नहीं है। TDR की रिपोर्ट पर कब्जे की स्थिति, राजस्व नक्शे की स्थिति से भिन्न है परन्तु कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा तरमीम गलत की गई है। साथ में कब्जे के आधार पर राजस्व मानचित्र में दिशाओ का परिवर्तन करना बिना किसी साक्ष्य के उचित नहीं है। परिणामत: वादी का नक्शा सुधार संबंधी निवेदन अस्वीकृत किया जाता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज 27/03/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी 27/03/26	